

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 खण्ड-1, में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली
सार्वजनिक सूचना सं. 18/2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 04 जून, 2015

विषय:- प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय-2 के पैरा 2.84 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एच बी पी) 2015-2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय-2 के पैरा 2.84 में संशोधन

प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय-2 के संशोधित पैरा 2.84 को

निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“2.84 स्तर धारकों के लिए निःशुल्क निर्यात:-

“स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए 10 लाख रू० की वार्षिक सीमा अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2 प्रतिशत, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे।”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:-

निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों के निर्यात पर स्तर-धारकों की हकदारी को तत्काल प्रभाव से सीमित कर दिया गया है।

(प्रवीर कुमार)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई-मेल: dgft@nic.in